न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर

छीतर पुत्र गेन्दा, जाति मीणा निवासी ग्राम कनकटा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– श्योराम पुत्र बिरधा
2– श्योनारायण पुत्र स्व.श्री महादेव
3– रामकुंवार उर्फ रामावतार पुत्र स्व. श्री महादेव
4– रामकिशन पुत्र स्व.श्री महादेव, नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती मूली देवी बेवा स्व.श्री महादेव। समस्त जाति मीणा निवासियान ग्राम कनकटा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5– राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार चाकसू मु. चाकसू जिला जयपुर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ (मुकाम जयपुर)
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः
श्री अरविन्द कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 11 जून, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर
छीतर बनाम श्योराम आदि

दिनांक 5–9–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–134/02 शीर्षक श्योराम आदि बनाम छीतर आदि को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, चाकसू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 को निरस्त किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान अपीलान्ट द्वारा एक दावा संख्या–35/93 अन्तर्गत धारा–88–53–92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक छीतर बनाम श्योराम, न्यायालय सहायक कलेक्टर, चाकसू के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर, चाकसू ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 के द्वारा दावा को स्वीकार कर डिक्री कर दिया। सहायक कलेक्टर, चाकसू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 से व्यथित होकर प्रतिवादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट ने प्रथम अपील संख्या–134/02 शीर्षक श्योराम बनाम छीतर, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–9–2002 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–11–2001 निरस्त कर दिया। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–9–2002 से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–1–2005 को प्रस्तुत की है।

3– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–9–2002 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–1–2005 को प्रस्तुत की गयी है। राजस्व मण्डल की विद्वान खण्डपीठ ने दिनांक 24–3–2005 को अपील में यह आदेश पारित किया है कि अपील एडमिट करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित करने हेतु विपक्षी को नोटिस जारी किये जावें। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक उपस्थित हुये तथा प्रार्थना पत्र धारा–5 अवधि अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया।

4– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–5 अवधि अधिनियम पर बहस सुनी गयी।

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर
छीतर बनाम श्योराम आदि

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 5–9–2002 की जानकारी होने पर उसके द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति तथा संबंधित पत्रावली चाकसू के अभिभाषक श्री अब्दुल हलीम को दे दी गयी थी, परन्तु वकील साहब स्वास्थ्य खराब होने के तथा तत्पश्चात मृत्यु हो जाने के पश्चात अपीली समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अभिभाषक श्री अब्दुल हलीम के बेटे ने उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट को पत्रावली वापिस सुपुर्द की। पत्रावली मिलने के पश्चात अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत होने में हुई देरी का समुचित कारण है। श्री अब्दुल हलीम अभिभाषक के बेटे श्री अब्दुल सहीद ने इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 4–6–2008 भी दिया है, जो पत्रावली पर मौजूद है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का समुचित कारण है। प्रकरण कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा का है। मियाद के बिन्दू को निर्णित करते समय न्यायालय को प्रकरण के गुण–अवगुण को भी मध्यनजर रखना चाहिये। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने **R.R.D. 1998 Page-319** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय दिनांक 5–9–2002 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–1–2005 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24–3–2005 को प्रस्तुत किया गया है तथा श्री अब्दुल शहीद का शपथ पत्र दिनांक 5–6–2008 को प्रस्तुत किया गया है। श्री अब्दुल हलीम इस प्रकरण में किसी भी स्तर पर वर्तमान अपीलान्ट के अभिभाषक नहीं रहे हैं। श्री अब्दुल शहीद ने एक शपथ पत्र दिनांक 29–8–2005 को निष्पादित कर धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में दिये गये कथनों का खण्डन किया है। जो पक्षकार स्वयं लापरवाह हो उसे धारा–5 अवधि अधिनियम का कोई फायदा नहीं दिया जाना चाहिये। वर्तमान प्रकरण में धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूंठे, आधारहीन तथा बनावटी हैं। मियाद अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने D.N.J. 2015 (S.C.) Page-592, A.I.R. 2010 (S.C.) Page 3043, D.N.J. 2009 (S.C.) Page-846, D.N.J. 2009 (S.C.) Page-429, A.I.R. 1998 Page-2276, D.N.J. 2012(1) (RAJ.) Page-264 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि मियाद के

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर
छीतर बनाम श्योराम आदि

बिन्दू को निर्णित करते समय न्यायालय को प्रकरण के गुण–अवगुण पर विचार नहीं करना चाहिये। धारा–228(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की निर्धारित समयावधि 90 दिन है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत अपील को अन्दर अवधि शुमार करने हेतु कोई समुचित कारण होना चाहिये। बिना समुचित कारण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो आधार दिये गये हैं, वे आधार समुचित आधार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम खारिज कर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8– इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5–9–2002 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–1–2005 को प्रस्तुत की गयी है। अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में जो आधार अंकित किये गये हैं। वे आधार प्रथम दृष्टया काल्पनिक नजर आते हैं। श्री अब्दुल हलीम अभिभाषक का अंकन करते हुये उनके द्वारा निर्धारित समयावाधि में अपील प्रस्तुत करना नहीं बताया गया है। जबकि श्री अब्दुल हलीम इस प्रकरण में किसी भी स्तर पर वर्तमान अपीलान्ट के अभिभाषक नहीं रहे हैं। श्री अब्दुल हलीम नाम के कोई अभिभाषक चाकसू में नहीं है, क्योंकि श्री अब्दुल शहीद ने इस पत्रावली में दो शपथ पत्र दिये हैं। श्री अब्दुल सहीद श्री अब्दुल हमीदखां अभिभाषक के बेटे हैं। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 अवधि अधिनियम में श्री अब्दुल हलीम अभिभाषक का अंकन किया है। श्री अब्दुल शहीद द्वारा दो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा दोनों शपथ पत्र एक दूसरे के विपरीत है। इसलिये श्री अब्दुल शहीद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऐसा कोई भी आधार धारा–5 अवधि अधिनियम में अंकित नही किया गया है जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जा सके।

2015 DNJ (SC) 592

"(b) Limitation Act 1963-Sec. 5- Condonation of delay- Expression "sufficient cause" is to receive liberal construction so

as to advance substantial justice- When there is no negligence, inaction or wand of bona fide is imputable to the appellants, the delay has to be condoned- Discretion should not be exercised in any arbitrary, vague or fanciful manner."

AIR 2010 SC 3043

"(A) Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Application for setting aside abatement- Delay- Condonation- Conduct of applicant- Ground raised that applicants were staying away from their father (deceased)- Had no knowledge of pending appeal- Acquired knowledge only when counsel informed them about hearing of appeal- Ground that applicants were staying away contrary to one taken in application for bringing LRs on record- Assertion that applicants had no knowledge-Unbelievable as on applicant was examined in trial- Application in fact made much after applicants were informed by counsel- Delay of over two years not liable to be condoned."

"(b) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Civil P.C. (5 of 1908), O. 22, R. 9- Condonation of delay- Sufficient cause- "Liberal approach"-Does not mean doing injustice to opposite party- Application to set aside abatement - Made belatedly- Ground raised for condonation not sufficient and also unbelievable- Delay cannot be condoned- Provisions of O. 22 R. 9 cannot be so construed so as to make it redundant."

2009 DNJ (SC) 846

"Limitation Act, 1963- Sec. 5- Condonation of delay- Delay of 178 days in filling appeal explained properly- Merits of the case also considered- High Court ought not to have gone into the merits of the case and required to seen only whether sufficient cause has shown for condonation of delay- Held, Order set aside and appeal is restored for decision on merits."

2009 DNJ (SC) 429

"Limitation Act, 1963- Sec. 5 & 14- Applicability- Condonation of delay- Extention of time- Court will not apply the beneficent provisions like Secs. 5 and 14 in pedantic manner."

AIR 1998 (SC) 2276

" (A) Civil P.C. (5), S. 96- Appeal- Delay- Condonation- Delay condoned without recording satisfaction of reasonable or satisfactory explanation for inordinate delay- No such explanation offered by State- Condonation of delay not proper and judicious- Order cannot be sustained."

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर
छीतर बनाम श्योराम आदि

"(C) Limitation Act (36 of 1963), S. 5- Delay- Condonation of - Law of limitation has to be applied with all its rigour prescribed by statute- Courts have no power to extend period of limitation on equitable grounds."

2012(1) DNJ (Raj.) 264

Civil Procedure Code, 1908 - Sec. 96 - Limitation Act, 1963 - Sec. 5- Condonation of delay - Gross delay of 1421 days in filing appeal - Application filed u/o. 9, R. 13 dismised - Though there is no statutory bar, the appellants defendants cannot be permitted to file an appeal u/s. 96(2) after the dismissal of application u/o. 9, R. 13 - Mere stating in the application that a wrong advice was given by the counsel may not be sufficient to condone the delay - Mistake of counsel or ignorance of law on the part of the counsel could not be treated as sufficient cause - No sufficient cause explained - Held, Application u/s. 5 is liable to be dismissed.

9– उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं धारा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र को मध्यनजर रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का कोई भी समुचित कारण दृष्टिगत नहीं होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–5 अवधि अधिनियम को खारिज किया जाता है।

10– फलस्वरूप वर्तमान अपील भी मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

अपील डिक्री / टी.ए. / 379 / 2005 / जयपुर

छीतर बनाम श्योराम आदि